Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 109 /2018

Ajay Kumar Das .....Appellant

Versus

Narayan Chandra Das & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.05.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–10/2018–19 में दिनांक–28.09.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी अनुपस्थित। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद कटिहार जिला के आजमनगर अंचल अंतर्गत मौजा–मुकुरिया, खाता सं0–429, खेसरा–1203, रकवा–06 डी0 से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी, अजय कुमार दास ने केवाला सं0–5494, दिनांक 23.06.2000 को दिलीप महलदार से खरीदगी करते हुए शांतिपूर्वक दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखलकार रहते हुए दाखिल खारिज करने हेतु अंचलाधिकारी, आजमनगर को आवेदन दिया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थलीय जाँच करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तदोपरांत दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम की गई। जमाबंदी कायम होने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा लगान का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि स्वत्व वाद सं0–155/1964 द्वारा सुभाष चन्द्र दास को प्राप्त हुआ था, जिसे माधवी चौधरी को केवाला सं0–3192 दिनांक–05.04.1989 द्वारा बिक्री किया गया, जिसपर वह शांतिपूर्ण दखलकार रही। बाद में माधवी चौधरी द्वारा केवाला सं0–7936 दिनांक–13.09.1995 द्वारा श्री उनासो शर्मा को बिक्री कर दिया गया, जिसपर दखलकार रहते हुए उनासो शर्मा ने दिलीप महलदार को बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिया। पुनः दिलीप महलदार द्वारा दखलकार रहते हुए उक्त भूमि को	

Web Copy. Not Official.

		अपीलार्थी अजय कुमार दास एवं उत्तरवादी सं0–03 सुनील कुमार को क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 02.05.2023	बिक्री कर दिया। उत्तरवादी सं0–01 नारायण चन्द्र दास द्वारा अपीलार्थी के प्रश्नगत भूमि पर आपत्ति करते हुए परेशान किया जाने लगा। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा भूमि की पैमाईश अंचल अमीन द्वारा कराया गया तथा दोनों पक्षों के सहमति पर सीमांकन किया गया, परन्तु उत्तरवादी द्वारा सीमांकन के बाद भी उन्हें परेशान किया जाता रहा। जिस कारण अपीलार्थी को भूमि विवाद निराकरण के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के न्यायालय में वाद सं0–10/2018–19 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्वत्व वाद की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया जो तथ्य से परे एवं अवैध है। उत्तरवादी के द्वारा काल्पनिक एवं मनढंत कहानी बनाते हुए यह दर्शाया गया कि संबंधित स्वत्व वाद सुभाष दास के द्वारा दायर किया गया था न कि सुभाष चन्द्र दास के द्वारा। संबंधित भूमि बिहार सरकार के द्वारा गैर मजरूआ आम घोषित होने के कारण ग्रामीणों द्वारा उक्त जमीन को रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष दायर अपील वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि का खतियान में किस्म रास्ता अंकित है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि न्यायोचित नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर जमाबंदी कायम करते हुए शांतिपूर्ण दखलकार है तथा सरकार को भू लगान अदा करते आ रहे है। उत्तरवादी के द्वारा विद्वेशपूर्ण भावना रखते हुए काल्पनिक एवं मनगढंत कहानी के द्वारा इन्हें परेशान करने के उद्देश्य से विवाद उत्पन्न किया गया है। अपीलार्थी के दखल की भूमि (सी0एस0 खाता सं0–423,595,596) कुल रकवा 2.10 ए0 का एक मात्र छोटा 06 डी0 का हिस्सा है और यह विश्वसनीय नहीं है कि सम्पूर्ण भूमि को रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। उक्त सम्पूर्ण भूमि सुभाष चन्द्र दास के द्वारा स्वत्व वाद सं0–155/1964 के माध्यम से पुनर्वापसी करते हुए माधवी चौधरी को बेचा गया, माधवी चौधरी द्वारा उनासों शर्मा को तथा उनासो शर्मा द्वारा दिलीप महलदार को बेच दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिलीप महलदार से मात्र 06 डी0	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 02.05.2023	भूमि की खरीदगी की गई है। इस प्रकार भूमि पर स्वत्व वाद सुभाष चन्द्र दास के पक्ष में था न कि सुभाष दास के। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए बिना कोई न्यायिक क्रमशः दृष्टिकोण को अपनाकर आदेश पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है। इस प्रकार वर्णित स्थिति में अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना इस न्यायालय से किया गया है। दूसरी तरफ उत्तरवादीगण के द्वारा समर्पित प्रत्त्युतर के अनुसार उत्तरवादीगण का कथन है कि प्रस्तुत वाद विधि की दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। प्रश्नगत जमीन आर0एस0 खतियान में बिहार सरकार की गैर मजरूआ आम की भूमि थी, जिसे रास्ता के रूप उपयोग किया जाता था। प्रस्तुत वाद पक्षकार दोष ग्रसित है क्योंकि भूमि गैर मजरूआ आम बिहार सरकार की भूमि है, जिसमें मुखिया एवं सरकार एक आवश्यक पक्षकार होना चाहिए, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सरकार एवं मुखिया को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के समक्ष अपीलवाद सं0- 10/2018-19 दायर करते हुए दर्शाया गया कि उनके द्वारा खरीदा गया 06 डी0 की भूमि स्वत्व वाद सं0-155/1964 द्वारा सुभाष चन्द्र दास को पुनर्वापसी भूमि का हिस्सा है जिसे आर0एस0 खतियान में रास्ते के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है। सुभाष चन्द्र दास के द्वारा संबंधित भूमि केवाला सं0-3192, दिनांक-05.04.1989 द्वारा माधवी चौधरी को जो केवाला सं0-7936, दिनांक-13.09.1995 द्वारा दिलीप महलदार को बेचा गया विवादित भूमि को केवाला सं0-5494 दिनांक-23.06.2000 द्वारा खरीदा गया तथा अपीलार्थी द्वारा दखल कब्जा कायम किया गया। उत्तरवादी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विवाद करने के कारण अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के न्यायालय में वाद दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई द्वारा आर0एस0 खतियान में संबंधित भूमि को रास्ता की प्रकृति बताते हुए अपीलवाद को खारिज कर दिया गया। जहाँ तक स्वत्व वाद सं0-155/1964 की बात है तो आर0एस0 खतियान में दर्शाये गये रास्ता का उपयोग सभी ग्रामीणों द्वारा किया जाता था, जिसमें मुखिया या ग्रामीणों को पक्षकार नहीं बनाया गया।	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 02.05.2023	इस प्रकार स्वत्व वाद में सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए सिर्फ एक खाश व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित कर देना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई के द्वारा उभय पक्षों को सुनकर सभी तथ्यों पर विचारोपरांत आदेश पारित किया गया जो विधिनुकूल है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में अपील वाद को खारिज करने क्रमशः की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आर0एस0 खतियान में बिहार सरकार की गैर मजरूआ आम, किस्म रास्ता दर्ज है। जिसे स्वत्व वाद सं0–155/1964 में दिये गये निर्णय के अनुसार सुभाष चन्द्र दास को पुनर्वापसी की गई। उक्त भूमि पुनर्वापसी के उपरांत सुभाष चन्द्र दास एवं उनके बाद भिन्न–भिन्न खरीददारों को बिक्री किया गया। कालांतर में उक्त भूमि दिलीप महलदार को बेचा गया। दिलीप महलदार द्वारा उक्त भूमि पर दखलकार रहते हुए अपीलार्थी अजय कुमार दास एवं अन्य को बिक्री कर दखल सौंप दिये। अपीलार्थी उक्त भूमि का जमाबंदी कायम कराते हुए सरकार को लगान अदा करते आ रहें है तथा दखलकार है। स्वत्व वाद में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किये जाने तथा स्वत्व वाद अपील में अपीलार्थी श्री सुभाष चंद्र दास के विरूद्ध कोई पारित आदेश अभिलेख बद्ध नहीं है। इसलिए स्वत्व वाद का निर्णय यथावत है। निम्न न्यायालय द्वारा अपना निर्णय स्वत्व वाद में दिये गये निर्णय को नजर अंदाज करते हुए पारित किया गया है, जो सही नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के निर्णय को खंडित करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

WebCopy. Not Official.

Web Copy. Not Official.